HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7756/2025

Rohit Sharma S/o Shri Desh Prakash Sharma, Resident of B-78, Ground Floor, Southend Floor, Sohna Road, District Gurugram,

----Accused/Petitioner

Versus

1. The State of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

2. Nimit Kasliwal Son of Shri Tarachand Kasliwal, Aged About 52 Years, Resident of Plot No. C-3, Raghu Vihar, Lalkothi Yojna, Tonk Road, Jaipur (Raj.)

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Prahlad Sharma, Adv. Mr. Akshay Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA
For Complainant(s)	:	None

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

23/02/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **218/2023** पुलिस थाना– **महेश नगर,** जिला– **जयपुर शहर(दक्षिण)**, अपराध अंतर्गत धारा **420, 406, 120–बी भारतीय दंड संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते है।

3. विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने याची–अभियुक्त द्वारा उन्हें झांसा देकर उनकी कंपनी में रुपये निवेश कराने बाबत् अंकित किया है, जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से ही प्रकरण पूर्णतया पैसे के लेनदेन का होकर दीवानी होना प्रमाणित होता है, उनका कथन है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में पक्षकारों में जो संव्यवहार होना बताया है, वह भी जयपुर न्याय क्षेत्र का ना होकर गुड़गांव न्यायक्षेत्र का है, जिसमें पुलिस थाना महेश नगर को उसके अनुसंधान का अधिकार नहीं है, उनका यह भी कथन है कि परिवादी के कजिन भाई द्वारा भी लगभग समान तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट पूर्व में गुड़गांव में दर्ज कराई गई थी, उसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, उक्त अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर, तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पुनः उक्त रिपोर्ट याची–अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराई गई है, याची–अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, वह अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, पुलिस उसे जबरन गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **09.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **218/2023** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई

बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की नवीन तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **3 सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /16